भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *311

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 अगस्त 2022 /17 श्रवण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

"कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर"

311* **श्री पसुनूरी दयाकर:**
डॉ। जी. रंजीत रेड्डी

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर और पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन पर निर्यात कर लगाया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त कर के कारण ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन उपक्रमों को किस हद तक नुकसान होने की संभावना है;
(घ) क्या निश्चित अंतराल पर प्रस्तावित अप्रत्याशित कर की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा
(य) क्या सरकार इसे राज्यों के साथ साझा करने जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) (ख) (ग) (घ) और (य) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर" पर दिनांक 08 अगस्त 2022 को उत्तरार्थ पसुनूरी दयाकर और डॉ. जी. रंजीत रेड्डी द्वारा लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 311 के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) और (ख) केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोल, डीजल और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर शुल्क / उपकर लगाया है। इन शुल्कों/उपकरों का विवरण इस प्रकार है:

वस्तु	शुल्क/उपकर 01.07.2022 से प्रभावी	शुल्क/उपकर 20.07.2022 से प्रभावी	शुल्क/उपकर 03.08.2022 से प्रभावी
पेट्रोलियम क्रूड (घरेलू उत्पादन)	Rs 23,500 प्रति टन	Rs 17,000 प्रति टन	Rs 17,750 प्रति टन
पेट्रोल (निर्यात)	Rs 6 प्रति लीटर	शून्य	शून्य
डीजल (निर्यात)	Rs 13 प्रति लीटर	Rs 11 प्रति लीटर	Rs 5 प्रति लीटर
विमानन टर्बाइन ईंधन (निर्यात)	Rs 6 प्रति लीटर	Rs. 4 प्रति लीटर	शून्य

(ग) और (घ) ओएनजीसी जैसे पेट्रोलियम कच्चे तेल के घरेलू उत्पादक अपने कच्चे तेल को अंतरराष्ट्रीय समता मूल्य पर बेचते हैं। जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं, ये कच्चे तेल उत्पादक सुपर नॉर्मल मुनाफा कमा रहे थे। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ की कीमतों में और भी तेजी से वृद्धि हुई, जिससे इन उत्पादों के निर्यात पर असाधारण क्रैकिंग मार्जिन (उत्पाद की कीमत और कच्चे तेल की कीमत के बीच का अंतर) हो गया। इस परिपेक्ष में उपकर/शुल्क लगाए गए थे। इनकी समय-समय पर समीक्षा की जा रही है, जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है

(य) जबकि उपकर राज्यों को हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न उपकर मुख्य रूप से विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसमे इन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को धन हस्तांतरित किया जाता है और इस प्रकार विकास व्यय के लिए उपयोग किया जाता है।

****